कृषि अनुभाग-5
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या-22 /2022/2066574(1)/12-5002(099)/5/2022
लखनऊ:: दिनांक 28 मार्च, 2022

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-20/2022/2066574/12-5002(099)/5/2022, दिनांक 26 मार्च, 2022 के प्रस्तर-1 में अंकित अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनओं का संगत राज्यांश, 8906-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना में रू.120.764 लाख (रूपया एक करोड़ बीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ सड़सठ मात्र) के स्थान पर अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनओं का संगत राज्यांश, 8906-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना में रू.120.764 लाख (रूपया एक करोड़ बीस लाख छिहत्तर हजार चार सौ मात्र) पढ़ा जाय।

2- शासनादेश दिनांक 26 मार्च, 2022 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 26 मार्च, 2022 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

अमर चन्द्र
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त् ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार(सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक(कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in